

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:भ-26/सीएफओ/जीबीएन-09(प्रथम)
सेवा में,

432

दिनांक:नवम्बर 7

2009.

प्रभारी, (भवन प्रकोष्ठ)

नौएडा सेक्टर-6

जनपद-गौतमबुद्धनगर।

विषय:

सेक्टर नं० 96, 97 एवं 98 में नौएडा एक्सप्रेस सिटी द्वारा मैसर्स यूनियटेक एकेशिया प्रोजेक्ट प्रा० लि० (स्पेशल प्रपज कम्पनी) प्रयोजित द्वारा यूनियटेक हाईटेक डवलपर्स लि० एवं सी०आई०जी० इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि० के प्रस्तावित रेजिडेंशियल अपार्टमेंट भवन निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा के सम्बन्ध में अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रस्तावित भवन के सम्बन्ध में मानचित्रों का परीक्षण एवं प्रश्नोत्तरी का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज प्रथम से कराया गया तो उनके द्वारा अपनी आख्या दिनांक:06-11-2009 के माध्यम से प्रस्तावित प्रश्नगत आवासीय अपार्टमेंट एवं क्लब हाउस व गोल्फ क्लब भवन के निर्माण हेतु निम्न विवरण से अवगत कराया है:-

1- मानचित्रों में भवन के सामने रोड की चौड़ाई मानकों के अनुरूप दर्शाई गई है जिस पर अग्निशमन वाहन सुगमता पूर्वक आ जा सकते हैं।
2- भवन के निर्माण हेतु कुल-14,07,327.68 वर्ग मी का प्लॉट है जिसमें से 10,593.12 वर्ग मी० पर भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है भवन में एक आवासीय भवन में एक बेसमेंट के अतिरिक्त मल्टीस्टोरी 14 आवासीय ब्लॉकों तथा क्लब हाउस व गोल्फ क्लब का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिनका क्षेत्रफल एवं उँचाई सम्बन्धित विवरण निम्नवत है:-

3- बेसमेंट का कवर्ड एरिया- जोन-1, 26507.749 वर्ग मी०, एवं जोन-2, 25267.426 वर्ग मी०।

- 1- टावर नं०-1, भूतल कवर्ड एरिया-733.167 वर्ग मी तथा भूतल से 29 वे तल तक, तथा भवन की कुल कुल उँचाई-92.75 मी।
- 2- टावर नं०-2, भूतल कवर्ड एरिया-655.557 वर्ग मी तथा भूतल से 26 वे तल तक, तथा भवन की कुल कुल उँचाई-86.45 मी।
- 3- टावर नं०-3, भूतल कवर्ड एरिया-675.562 वर्ग मी तथा भूतल से 27 वे तल तक, तथा भवन की कुल कुल उँचाई-89.60 मी।
- 4- टावर नं०-4, भूतल कवर्ड एरिया-477.197 वर्ग मी तथा भूतल से 27 वे तल तक, तथा भवन की कुल कुल उँचाई-80.15 मी।
- 5- टावर नं०-5, भूतल कवर्ड एरिया-733.167 वर्ग मी तथा भूतल से 29 वे तल तक, तथा भवन की कुल कुल उँचाई-64.40 मी।
- 6- टावर नं०-6, भूतल कवर्ड एरिया-477.197 वर्ग मी तथा भूतल से 27 वे तल तक, तथा भवन की कुल कुल उँचाई-70.70 मी।
- 7- टावर नं०-7, भूतल कवर्ड एरिया-675.562 वर्ग मी तथा भूतल से 27 वे तल तक, तथा भवन की कुल कुल उँचाई-61.25 मी।
- 8- टावर नं०-8, भूतल कवर्ड एरिया-675.562 वर्ग मी तथा भूतल से 27 वे तल तक, तथा भवन की कुल कुल उँचाई-89.60 मी।
- 9- टावर नं०-9, भूतल कवर्ड एरिया-655.557 वर्ग मी तथा भूतल से 26 वे तल तक, तथा भवन की कुल कुल उँचाई-86.45 मी।
- 10-टावर नं०-10, भूतल कवर्ड एरिया-733.167 वर्ग मी तथा भूतल से 29 वे तल तक, तथा भवन की कुल कुल उँचाई-64.40 मी।
- 11-टावर नं०-11, भूतल कवर्ड एरिया-675.562 वर्ग मी तथा भूतल से 27 वे तल तक, तथा भवन की कुल कुल उँचाई-61.25 मी।
- 12- टावर नं०-12, भूतल कवर्ड एरिया-477.197 वर्ग मी तथा भूतल से 27 वे तल तक, तथा भवन की कुल कुल उँचाई-70.70 मी।
- 13- टावर नं०-13, भूतल कवर्ड एरिया-733.167 वर्ग मी तथा भूतल से 29 वे तल तक, तथा भवन की कुल कुल उँचाई-92.75 मी।
- 14- टावर नं०-14, भूतल कवर्ड एरिया-655.557 वर्ग मी तथा भूतल से 26 वे तल तक, तथा भवन की कुल कुल उँचाई-86.45 मी।

उक्त 14 टावरों को 02 जोन में विभक्त किया गया है जिनमें जोन-1, में टावर संख्या-01 से 07 तथा जोन-2, में टावर संख्या-08 से 14 तक प्रस्तावित किये गये हैं।

4-लिंक कोरिडोर- भूतल पर प्रस्तावित कवर्ड एरिया-474.598 वर्ग मी० है।

5-क्लब हाउस- भूतल पर प्रस्तावित कवर्ड एरिया-65.67 वर्ग मी० है।

6-गोल्फ क्लब- भूतल पर प्रस्तावित कवर्ड एरिया-1209.458 वर्ग मी०

7- स्टेयर केस एवं लिफ्ट

भवन के प्रत्येक ब्लॉक में नीचे के तलो से उपरी तलो तक आने एवं जाने के लिए दो लिफ्ट एवं दो स्टेयर केस का

प्राविधान किया गया है किसी भी आपात स्थिति में लिफ्ट का प्रयोग न किया जाये। एवं एक स्टेयर का एक्सटरनल स्टेयर के रूप में निर्माण कराया जाये।

8-रिफ्यूज एरिया- भवन में रिफ्यूज एरिया का प्राविधान एन0बी0सी0 के क्लाज-4.12.3 के अनुसार प्राविधानित किये जाये।

6- सैटबेक भवन के चारों तरफ 16 मी0 सैटबेक को छोड़ा जाना अनिवार्य होगा तथा इस सम्बन्ध में नोएडा आथॉर्टी के नियमों का पालन किया जाना आवश्यक है जिसमें से 06 मीटर मोटरेबुल सैटबेक हार्ड सरफेस युक्त होना अनिवार्य होगा जिसे सदैव अवरोध रहित रखा जाये भवन के सैटबेक में किसी भी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण न कराया जाये।

7- जीव रक्षा के सुझाव

1. भवन के बेसमेन्ट में स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम का प्राविधान किया जाये कि किसी भी अग्नि दुर्घटना के दौरान 30 एयर चेन्ज व साधारण स्थिति में 12 चेन्ज होना आवश्यक है।
2. भवन में रिफ्यूज एरिया के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट-4 के क्लाज-4.12.1 से 4.12.3 तक दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये।
3. यदि भवन के किसी भाग को सेन्ट्रली एयर कण्डीशन बनाया जाता है तो एयर कण्डीशन के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट-4 के क्लाज-1.14 से 1.15 तक दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये।
4. भवन में ट्रांसफार्मर की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट-4 के क्लाज-सी 1.16 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाय।
5. भवन की विद्युत सुरक्षा व्यवस्था के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट-4 के क्लाज-1.12ए से एच तक दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये।

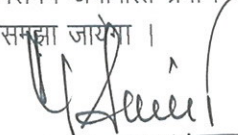
एन0बी0सी0 पार्ट-4,2005 के मानक के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था के सुझाव प्रत्येक जोन हेतु अलग अलग:-

- 1- भवन में प्रत्येक जोन हेतु अग्निशमन कार्यों के लिए 2,00,000 लीटर पानी की क्षमता का टैंक, तथा प्रत्येक टावर में 25,000 लीटर पानी की क्षमता का टेरिस टैंक स्थापित किया जाये। दोनों टैंकों को जोड़ते हुए वेटराइजर कम डाउनकामर का प्राविधान किया जाय इसके साथ ही प्रत्येक तल पर आवश्यकतानुसार होजरील, लेण्डिंग वाल्व, होज कैबिनेट स्थापित किये जाये एवं प्रत्येक होज कैबिनेट में दो दो अदद आर0 आर0 एल0 होज पाईप 15-15 मीटर व स्प्रे ब्रान्च पाइप रखे जाये।
- 2- वेटराइजर कम डाउनकामर को सदैव पानी से प्रेशर युक्त बनाये रखने के लिए भूमिगत टैंक के पास 2280 एलपीएम के दो अदद विद्युत चालित फायर पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प, 180 एलपीएम का विद्युत चालित जौकी पम्प व टेरिस पर 900 एल0पीएम0 के विद्युत चालित फायर पम्प स्थापित किये जाये। वेटराइजर कम डाउनकामर के नीचे व उपर की तरफ एन0आर0वी0 व उपर की तरफ एयर रिलीज वाल्व तथा भूतल पर फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान किया जाये।
- 3- प्रस्तावित भवन के परिसर में क्रमशः 1 व 2 पर प्रस्तावित की गई अग्निशमन व्यवस्था को निर्देशित किये गये 02 स्थानों पर स्थापित कराये जाये।
- 4- भवन के प्रत्येक तल पर आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम का प्राविधान किया जाये।
- 5- भवन के चारों ओर रिंग मेन डालकर उस पर यार्ड हाईड्रैण्ट्स का प्राविधान किया जाये।
- 6- भवन के प्रत्येक तल पर मेनुवल आपरेटिड ईलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम व आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम का प्राविधान किया जाये जिसका मेन पैनल कम से कम 02 घण्टे की बैट्री बैकअप सिस्टम से युक्त होना आवश्यक।
- 7- भवन के प्रत्येक तल पर पी0ए0 सिस्टम का प्राविधान किया जाये ताकि आपातस्थिति में भवन के अन्दर कार्यरत लोगों को अवगत कराकर बाहर निकाला जा सके।
- 8- भवन के अन्दर फायर कंट्रोल रूम की स्थापना के लिए एन0बी0सी0-2005 के क्लॉज सी-5 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये
- 9- भवन में स्थापित करायी जानी वाली सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली व्यवसायिक रूप से प्रशिक्षित एवं दक्ष व्यक्ति की देखरेख में कराई जाये तथा स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन के लिए व्यवसायिक रूप से दक्ष अग्निशमन अधिकारी व स्टाफ के लिए नेशनल बिल्डिंग

कोड आफ-2005 पार्ट-4 के क्लाज सी-6 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये।

10- आवासीय ब्लॉक के अतिरिक्त अन्य फैसिलिटिज का निर्माण एवं उनमें अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0-2005 के अनुसार कराई जानी अनिवार्य होगी।

अतः अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज प्रथम की उक्त आख्या को दृष्टिगत रखते हुए मैसर्स यूनिटेक एकेशिया प्रोजेक्ट प्रा0 लि0 (स्पेशल प्रपज कम्पनी) द्वारा सेक्टर न0 96, 97 एवं 98 में नौएडा एक्सप्रेस सिटी में प्रस्तावित रेजीडेंशियल अपार्टमेंट भवन के निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आख्या इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008, तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 एवं तत् समय पृवत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानकों के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पूर्व भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अस्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।


(महावीर सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपि: 1- अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज-प्रथम जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2- आवेदक मैसर्स यूनिटेक एकेशिया प्रोजेक्ट प्रा0 लि0 को अनुपालनार्थ।